स्थापना एवं अनुभाग

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

Ministry of Industry & Commerce
IN-18128
5.5.13
LIBRARY
पुस्तकालय

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, दिसम्बर 30, 2012—जनवरी 5, 2013, शनिवार/पौष 9—पौष 15, 1934

No. 1] NEW DELHI, DECEMBER 30, 2012—JANUARY 5, 2013, SATURDAY/PAUSA 9—PAUSA 15, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

Sh JK

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 2.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग समूह "घ" पद भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि .**—उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य कर्मचारीवृंद	211* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 5 वर्ष

(6)
शिथिल की जा सकती है और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के अभ्यर्थियों की दशा में ऊपरी आयु-सीमा शिथिल की जा सकेगी।)
टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो या आमेलन
(7)	(8)	(9)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण **कर्तव्य की प्रकृति :** (क) अनुभाग के अभिलेखों का भौतिक रखरखाव। (ख) अनुभाग/इकाई की व्यापक स्वच्छता तथा अनुरक्षण। (ग) भवन में फाइल और अन्य कागज-पत्र ले जाना। (घ) फोटोकापी, फैक्स भेजना आदि। (ङ) अनुभाग/इकाई में अन्य गैर-लिपिकीय कार्य। (च) नैत्यिक कार्यालयी कार्य जैसे डायरी/प्रेषण कम्प्यूटर कार्य सहित आदि में सहायता करना।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)
(छ) डाक का परिदान (भवन के बाहर) ।
(ज) पहरा और निगरानी का कार्य ।
(झ) कमरों को खोलना तथा बंद करना ।
(ञ) कमरों की सफाई करना ।
(ट) फर्नीचर की सफाई आदि ।
(ठ) भवन, फिक्सचर आदि की सफाई करना ।
(ड) उच्चतर प्राधिकारी द्वारा समानुदेशित कोई अन्य कार्य ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :- 1. निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (संबद्ध), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग —सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12012/1/2010-स्था.-घ]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 31st December, 2012

G.S.R. 2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Industrial Development in the Ministry of Industry Group 'D' Posts, Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Multi Tasking Staff (Group 'C' Posts) in the Department of Industrial Policy and Promotion, in the Ministry of Commerce and Industry, namely :—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Industrial Policy and Promotion, Multi Tasking Staff (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limits, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, for reasons to be rendered in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect the reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Multi-Tasking Staff	211* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200—20200) + Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servants up to 5 years. The upper age limit prescribed may be relaxed in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and

4759 GI/13-3

	(6)
	Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent pass **Nature of duties :** (a) Physical Maintenance of records of the Section. (b) General Cleanliness and upkeep of Section/Unit. (c) Carrying of files and other papers within the building. (d) Photocopying, sending of FAX etc. (e) Other non-clerical work in the Section/ Unit. (f) Assisting in routine office work like diary/despatch etc., including on Computer. (g) Delivering of dak (outside the building). (h) Watch and ward duties. (i) Opening and closing of the rooms. (j) Cleaning of rooms. (k) Dusting of furniture etc. (l) Cleaning of building, fixtures etc. (m) Any other work assigned by the superior authority.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation :— 1. Director or Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion —Chairman 2. Under Secretary (concerned), Department of Industrial Policy and Promotion —Member 3. Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion —Member	Not applicable.

[F. No. A-12012/1/2010-Estt. D]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.